



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०,
“नवाय भवन”, दारोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लॉक, रोड नं०-२, पटना-८००००१

कार्यालय आदेश

क्र0	नाम	गृह जिला	सेवानिवृति का कार्यालय	सेवानिवृति का पद	कोटि	पद नाम जिसके विरुद्ध चयन किया गया है।	पदस्थापित स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री भाग्य नारायण सिंह	पूर्वी० चम्पारण	भूमि विकास बैंक	शाखा प्रबंधक	सामान्य	सहायक प्रबंधक	टी०पी०डी०एस० गोदाम, बेलसंड, सीतामढ़ी

शर्त :-

- शर्त :-**

 - (i). अभ्यर्थी की तत्काल औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ नियोजित की जाती है कि उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों की सम्पूर्णता के क्रम में अथवा सेवा निवृत्त कार्यालय से कोई प्रतिकुल प्रतिवेदन प्राप्त होता है एवं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी का नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।
 - (ii). अभ्यर्थी को यह निर्देश दिया जाता है कि अविलम्ब नवपदस्थापित स्थान पर अपना योगदान समर्पित करेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का भत्ता आदि देय नहीं होगा।
 - (iii). नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में ननजुडिसिएल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जाना आवश्यक होगा।
 - (iv). सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पट्टना के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
 - (v). उल्लिखित पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी तथा आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा। कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें बगैर कोई सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
 - (vi). अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
 - (vii). संविदा आधारित यह नियोजन बिल्कुल अस्थायी एवं औपबंधिक होगा। जैसे ही रिक्ति के विरुद्ध नियमित नियुक्ति(यथा सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति के उपरान्त नियुक्ति) के उपरान्त पदस्थापन होते ही संविदा पर नियोजित कर्मी की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
 - (viii). इनके द्वारा भविष्य में की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन या नियम के प्रावधानों के तहत क्षति/गबन की वसूली उनके चल-अचल संपत्ति से की जायेगी।
 - (ix). अनुबंध की समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति पुनर्नियोजित नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध की समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति पुनर्नियोजित नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

23.2.21

(x). इनके द्वारा संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें एक माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन या निगम के प्रावधानों के तहत वसूलनीय होगी।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

इ0/-

उप महाप्रबंधक प्रबंधक।

ज्ञापांक:-3:02:329:01:2019 1503

दिनांक:- 23/2/21

प्रतिलिपि:- श्री भार्य नारायण सिंह, पिता- श्री कपिल देव सिंह, पता- ग्रा०+पो०-नकरदेवा, थाना- राजेपुर, प्रखण्ड- तेतरिया, जिला- पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) मो०-9304412867 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक/ गोपनीय शाखा/ विष्ट्र लिपिक निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर/ कन्ट्रोल रूम प्रभारी को निगम के वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/23.2.21

उप महाप्रबंधक प्रशासन।